



राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड

निर्वाचन भवन, लाडपुर, मसूरी बाईपास, रिंग रोड, देहरादून।

टैलीफैक्स : 0135-2670998, 2678945

दूरभाष . 0135-2673011, 2671671

E-Mail : sec.uttarakhand@gmail.com

संख्या 1217 / रा0नि0आ0-2 / 2633 / 2019

दिनांक 26 जून, 2019

प्रेषक,

चन्द्रशेखर भट्ट,
राज्य निर्वाचन आयुक्त,
उत्तराखण्ड।

सेवा में,

समस्त जिला मजिस्ट्रेट/
जिला निर्वाचन अधिकारी(पंचायत)
उत्तराखण्ड।

विषय:- त्रिस्तरीय पंचायतों के सामान्य निर्वाचन/उप निर्वाचन में निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों के नाम निर्देशन पत्रों का मूल्य, जमानत की धनराशि तथा अधिकतम व्यय सीमा का निर्धारण।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय के संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग के पत्र संख्या 1119/रा.नि.आ.-2/1378/2013 दिनांक 15.01.2013 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें उम्मीदवारों के नाम निर्देशनों पत्रों का मूल्य, उम्मीदवारों की जमानत की धनराशि एवं उम्मीदवारों द्वारा किये जाने वाले व्यय की अधिकतम सीमा निर्धारित की गई है।

2. उक्त संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त राज्य के त्रिस्तरीय पंचायतों के निर्वाचन के लिए नाम निर्देशन पत्रों का मूल्य, जमानत की धनराशि एवं अधिकतम व्यय सीमा संबंधी आयोग के पत्र संख्या 1119/रा.नि.आ.-2/1378/2013 दिनांक 15.01.2013 को अवक्रमित करते हुए नाम निर्देशन पत्रों का मूल्य, जमानत की धनराशि एवं अधिकतम व्यय सीमा को निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है:-

क्र. सं.	पदनाम/ उम्मीदवार	नाम निर्देशन पत्रों का मूल्य		जमानत की धनराशि		निर्धारित अधिकतम व्यय सीमा (रु०)
		सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए (रु०)	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ पिछड़ा वर्ग/ महिला उम्मीदवारों के लिए (रु०)	सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए (रु०)	अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/महिला उम्मीदवारों के लिए (रु०)	
1	2	3	4	5	6	7
1	सदस्य ग्राम पंचायत	150	75	300	150	10,000.00
2	उपप्रधान ग्राम पंचायत	210	105	750	375	15,000.00

क्रमशः.....2

3	प्रधान ग्राम पंचायत	300	150	1500	750	50,000.00
4	सदस्य क्षेत्र पंचायत	300	150	1500	750	50,000.00
5	सदस्य जिला पंचायत	450	225	3000	1500	1,40,000.00
6	कनिष्ठ उपप्रमुख	450	225	4500	2250	50,000.00
7	ज्येष्ठ उपप्रमुख	450	225	4500	2250	60,000.00
8	प्रमुख क्षेत्र पंचायत	600	300	6000	3000	1,40,000.00
9	उपाध्यक्ष जिला पंचायत	750	375	6000	3000	2,50,000.00
10	अध्यक्ष जिला पंचायत	1500	750	12000	6000	3,50,000.00

उक्त दर तत्काल प्रभाव से प्रभावी होगी।

भवदीय,

(चन्द्रशेखर भट्ट)

राज्य निर्वाचन आयुक्त।

संख्या:- 1218/ रा0नि0आ0-2/2633/2019 तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सचिव, मा0 राज्यपाल, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
4. सचिव, पंचायती राज, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
5. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
6. आयुक्त, कुमायूं मण्डल, नैनीताल।
7. निदेशक, पंचायती राज, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. समस्त मुख्य विकास अधिकारी/उप जिला निर्वाचन अधिकारी(पंचास्थानी), उत्तराखण्ड।
9. समस्त प्रभारी अधिकारी, पंचास्थानी चुनावालय, उत्तराखण्ड।
10. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि वह कृपया इसे सभी समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित कराने व आकाशवाणी/दूरदर्शन केन्द्रों को प्रसारण हेतु प्रेषित कराने का कष्ट करें।
11. समस्त सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी, पंचास्थानि चुनावालय, उत्तराखण्ड।
12. आयोग के समस्त अधिकारी/अनुभाग।

(चन्द्रशेखर भट्ट)

राज्य निर्वाचन आयुक्त।